डिजिटल युग में सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और लोकतांत्रिक विमर्श: भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवसर, चुनौतियाँ एवं नियामक उपायों का समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ . वी . ममता
सहायक प्राध्यापिका
सरकारी महा विद्यालय
महबूबाबाद।

1. सारांश

इक्कीसवीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। विशेष रूप से सोशल मीडिया ने सामाजिक संबंधों, राजनीतिक गतिविधियों, आर्थिक व्यवहार, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा शैक्षणिक प्रक्रियाओं को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे डिजिटल मंच आज केवल व्यक्तिगत संवाद और मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि सार्वजनिक बहस, जनमत निर्माण, राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक जागरूकता के प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। इन मंचों ने सामान्य नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, सार्वजनिक नीतियों पर प्रतिक्रिया देने तथा शासन-प्रशासन से संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।

दूसरी ओर, सोशल मीडिया के अनियंत्रित विस्तार ने फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, भ्रामक सूचनाओं, साइबर उत्पीड़न, डिजिटल धोखाधड़ी, ट्रोलिंग तथा कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। विशेष रूप से चुनाव, सामुदायिक संबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों में गलत सूचनाओं का प्रसार लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता तथा सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया की लोकतांत्रिक भूमिका, फेक न्यूज़ के स्वरूप, उसके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों तथा संबंधित कानूनी और नीतिगत व्यवस्थाओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें

पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों और प्रामाणिक डिजिटल प्रकाशनों की विषयवस्तु का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा भारत निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया संबंधी पहलों पर भी विचार किया गया है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि फेक न्यूज़ की समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रतिबंधों से संभव नहीं है। इसके लिए मीडिया साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जाँच, सोशल मीडिया मंचों की पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिकों के जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करके ही स्वस्थ, समावेशी और विश्वसनीय लोकतांत्रिक विमर्श का निर्माण किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: डिजिटल युग, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, लोकतांत्रिक विमर्श, भारत, डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता, सूचना अव्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नियामक उपाय।

2. परिचय

इक्कीसवीं सदी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सदी कहा जाता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया ने मानव जीवन की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। पहले सूचना का प्रसार मुख्यतः समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और अन्य पारंपरिक संचार माध्यमों से होता था। इन माध्यमों में समाचारों के संकलन, संपादन, सत्यापन और प्रकाशन की एक निर्धारित प्रक्रिया होती थी। किंतु डिजिटल क्रांति ने संचार की इस पारंपरिक व्यवस्था को बदल दिया है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में सूचना तैयार करके उसे व्यापक जनसमुदाय तक पहुँचा सकता है।

सोशल मीडिया ने संचार को एकतरफा प्रक्रिया से बदलकर बहुआयामी और सहभागितापूर्ण प्रक्रिया बना दिया है। पारंपरिक मीडिया में सामान्य नागरिक मुख्यतः सूचना का उपभोक्ता होता था, जबकि डिजिटल माध्यमों में वह सूचना का निर्माता, प्रसारक, समीक्षक और उपभोक्ता भी बन गया है। कैस्टेल्स (2007) के अनुसार, जनसंचार के डिजिटल स्वरूप ने संचार की शक्ति-

संरचना को प्रभावित किया है और नागरिकों को वैकल्पिक संवाद मंच उपलब्ध कराए हैं। इस परिवर्तन ने लोकतांत्रिक संवाद को व्यापक बनाया है।

भारत जैसे विशाल और बहुलतावादी लोकतांत्रिक देश में सोशल मीडिया का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के कारण यहाँ सार्वजनिक संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता तथा डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल संचार के विस्तार में योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, प्रशासन तथा सामाजिक समस्याओं से संबंधित सूचनाओं तक अधिक सरलता से पहुँच पा रहे हैं।

लोकतंत्र का आधार केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि नागरिकों को विचार व्यक्त करने, शासन की आलोचना करने, सार्वजनिक नीतियों पर चर्चा करने और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना भी है। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को नई गति दी है। इसके माध्यम से नागरिक सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक आंदोलनों से जुड़ते हैं और प्रशासनिक जवाबदेही की माँग करते हैं।

हालाँकि, इस सकारात्मक परिवर्तन के साथ सूचना की विश्वसनीयता का प्रश्न भी सामने आया है। जब कोई भी व्यक्ति बिना पर्याप्त सत्यापन के सूचना का निर्माण और प्रसार कर सकता है, तब सत्य और असत्य के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। यही स्थिति फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार को लोकतांत्रिक विमर्श के सामने गंभीर चुनौती बनाती है। इसलिए सोशल मीडिया का अध्ययन तकनीकी विकास के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों, सामाजिक समरसता और सूचना की विश्वसनीयता के संदर्भ में करना आवश्यक है।

3. सोशल मीडिया की अवधारणा एवं लोकतांत्रिक महत्व

सोशल मीडिया ऐसे डिजिटल संचार मंचों का समूह है, जिनके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय सूचनाओं, विचारों, अनुभवों, चित्रों, वीडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री का निर्माण, आदान-प्रदान और प्रसार कर सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता उपयोगकर्ता की सक्रिय सहभागिता है। इसमें

व्यक्ति केवल सूचना प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं भी सूचना निर्माण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक सहभागिता का एक प्रभावशाली माध्यम बन गया है। सामान्य नागरिक अपनी समस्याओं, विचारों और अनुभवों को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर डिजिटल अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे उन मुद्दों को भी सार्वजनिक चर्चा में स्थान मिल सकता है, जिन्हें पारंपरिक मीडिया में पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता।

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। नागरिक सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुँचा सकते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं से जवाब माँग सकते हैं। किसी सेवा में लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर डिजिटल मंचों के माध्यम से वह विषय व्यापक जनचर्चा का हिस्सा बन सकता है।

राजनीतिक जागरूकता और चुनावी सहभागिता के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल, उम्मीदवार, नागरिक संगठन और मतदाता डिजिटल मंचों के माध्यम से संवाद करते हैं। चुनावी घोषणापत्र, नीतिगत विचार, सार्वजनिक भाषण और राजनीतिक गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर प्रसारित होती हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और मानवाधिकार से जुड़े आंदोलनों को भी सोशल मीडिया से व्यापक समर्थन मिल सकता है।

इस प्रकार सोशल मीडिया लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था तक सीमित न रखकर नागरिकों को निरंतर संवाद और सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। तथापि, इस भूमिका की सार्थकता सूचना की विश्वसनीयता और जिम्मेदार उपयोग पर निर्भर करती है।

4. फेक न्यूज़ : अर्थ, स्वरूप एवं प्रसार के कारण

फेक न्यूज़ से आशय ऐसी झूठी, भ्रामक, विकृत अथवा संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत की गई सूचना से है, जिसे समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है और जिसके कारण पाठक या दर्शक वास्तविकता के संबंध में गलत धारणा बना सकते हैं। प्रत्येक गलत सूचना जानबूझकर प्रसारित नहीं की जाती। इसीलिए गलत सूचना और सुनियोजित दुष्प्रचार के बीच अंतर करना आवश्यक है।

वार्डल और डेराखशन (2017) ने सूचना अव्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए गलत सूचना, दुष्प्रचार और दुर्भावनापूर्ण सूचना के बीच अंतर बताया है। गलत सूचना ऐसी सामग्री है जिसे बिना नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य के साझा किया जाता है। दुष्प्रचार में जानबूझकर झूठी सामग्री तैयार करके उसका प्रसार किया जाता है। दुर्भावनापूर्ण सूचना में वास्तविक जानकारी का उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

फेक न्यूज़ के प्रमुख स्वरूपों में भ्रामक शीर्षकों वाले समाचार, पुरानी तस्वीरों और वीडियो का नए घटनाक्रम से संबंध जोड़कर प्रसार, सांप्रदायिक अफवाहें, राजनीतिक दुष्प्रचार, डीपफेक वीडियो तथा आर्थिक धोखाधड़ी शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या गतिविधियों में परिवर्तन करके वास्तविक प्रतीत होने वाली नकली सामग्री भी तैयार की जा सकती है।

इसके प्रसार के पीछे बिना सत्यापन के संदेश साझा करने की प्रवृत्ति, सनसनीखेज सामग्री के प्रति आकर्षण, राजनीतिक एवं वैचारिक पक्षपात, डिजिटल साक्षरता की कमी और एल्गोरिदम आधारित सामग्री वितरण जैसी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। वसौघी, रॉय और अराल (2018) के अध्ययन से पता चलता है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें कई परिस्थितियों में सच्ची खबरों की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकती हैं। इसलिए सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ उसकी सत्यता की जाँच करना भी आवश्यक है।

5. भारतीय लोकतंत्र पर फेक न्यूज़ का प्रभाव

भारत की सामाजिक, भाषाई और धार्मिक विविधता को देखते हुए फेक न्यूज़ का प्रभाव गंभीर हो सकता है। इसका असर केवल किसी व्यक्ति की धारणा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक

संबंधों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है।

चुनावी प्रक्रिया में गलत सूचनाएँ मतदाताओं की स्वतंत्र निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। नकली सर्वेक्षण, संपादित भाषण, भ्रामक वीडियो और गलत राजनीतिक दावे मतदाताओं के बीच भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। लोकतंत्र में मतदाता का निर्णय तथ्यात्मक जानकारी और स्वतंत्र विचार पर आधारित होना चाहिए। इसलिए चुनावी अवधि में डिजिटल सामग्री की सत्यता और राजनीतिक विज्ञापनों की पारदर्शिता विशेष महत्व रखती है।

सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में भी फेक न्यूज़ गंभीर चुनौती है। किसी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के विरुद्ध प्रसारित झूठी सूचना अविश्वास और तनाव को बढ़ा सकती है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गलत सूचनाएँ नागरिकों के उपचार, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। महिलाओं और कमजोर सामाजिक वर्गों को साइबर उत्पीड़न, निजी तस्वीरों के दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के संबंध में निराधार सूचनाएँ नागरिकों के बीच भ्रम और अविश्वास उत्पन्न कर सकती हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना तथ्य और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। सुनियोजित दुष्प्रचार तथा वैध आलोचना के बीच अंतर बनाए रखना लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

6. भारत में कानूनी एवं नियामक व्यवस्थाएँ

डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारत में विभिन्न कानूनी और नीतिगत व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार, डिजिटल लेन-देन और साइबर गतिविधियों को कानूनी आधार प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, मध्यस्थ संस्थाओं तथा विभिन्न साइबर गतिविधियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। किसी सामग्री की कानूनी स्थिति उसके स्वरूप, उद्देश्य, प्रभाव और संबंधित कानून

के प्रावधानों पर निर्भर करती है। इसलिए गलत सूचना के विरुद्ध कार्रवाई करते समय कानूनी स्पष्टता और नागरिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों तथा डिजिटल मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण नियामक व्यवस्था है। इन नियमों में मध्यस्थों की जिम्मेदारियों, शिकायत निवारण और डिजिटल सामग्री से जुड़े दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य डिजिटल मंचों पर पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। इनके क्रियान्वयन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, राजनीतिक विज्ञापनों की पारदर्शिता तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देश और पहलें की हैं। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाना तथा चुनाव संबंधी सूचनाओं को नागरिकों तक पहुँचाना भी इन प्रयासों का महत्वपूर्ण पक्ष है।

डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों ने नागरिकों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने में योगदान दिया है। भविष्य में इन पहलों के साथ सूचना की विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा और तथ्य-जाँच संबंधी प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।

7. मीडिया साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की भूमिका

फेक न्यूज़ की समस्या का स्थायी समाधान केवल कानूनी प्रतिबंधों में नहीं, बल्कि जागरूक और विवेकशील नागरिकों के निर्माण में निहित है। मीडिया साक्षरता का अर्थ समाचार पढ़ने या देखने तक सीमित नहीं है। इसमें सूचना के स्रोत, उद्देश्य, विश्वसनीयता, प्रस्तुति और संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना शामिल है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को समाचारों की तथ्य-जाँच, चित्रों और वीडियो की प्रामाणिकता की पहचान, मूल स्रोत की जाँच तथा डिजिटल निजता के संबंध में

प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है।

इरेटन और पोसेटी (2018) ने गलत सूचना तथा दुष्प्रचार की पहचान में पत्रकारिता शिक्षा, तथ्य सत्यापन और आलोचनात्मक विश्लेषण के महत्व को रेखांकित किया है। इसी दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थानों में मीडिया एवं डिजिटल साक्षरता को शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

8. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की भूमिका

फेक न्यूज़ की पहचान और विश्वसनीय सूचना के प्रसार में पुस्तकालयों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आधुनिक पुस्तकालय केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं के संग्रह केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे सूचना साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और ज्ञान के आलोचनात्मक उपयोग के प्रशिक्षण केंद्र भी हैं।

महाविद्यालयों के पुस्तकालय विद्यार्थियों को विश्वसनीय सूचना स्रोतों की पहचान, शोध डेटाबेस के उपयोग, संदर्भ सामग्री के सत्यापन और ऑनलाइन सूचनाओं के मूल्यांकन में मार्गदर्शन दे सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष तथ्य-जाँच संबंधी कार्यशालाएँ, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और सूचना खोज प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध समाचारों और डिजिटल सामग्री की विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए पुस्तकालयों को स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं और शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

इस प्रकार पुस्तकालय लोकतांत्रिक चेतना, जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार और प्रमाण-आधारित ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पुस्तकालयों को डिजिटल युग में केवल सूचना उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि सूचना के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

9. सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही एवं भविष्य की चुनौतियाँ

फेक न्यूज़ की रोकथाम की जिम्मेदारी केवल सरकार या नागरिकों की नहीं है। सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी सामग्री वितरण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया और विज्ञापन संबंधी नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। संदिग्ध सामग्री की पहचान, स्वतंत्र तथ्य-जाँच संस्थाओं के साथ सहयोग, राजनीतिक विज्ञापनों के स्रोत का खुलासा तथा उपयोगकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं।

भारत जैसे बहुभाषी देश में क्षेत्रीय भाषाओं में तथ्य-जाँच की व्यवस्था विशेष रूप से आवश्यक है। तेलुगु, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए भाषाई विशेषज्ञों, पत्रकारों, पुस्तकालयाध्यक्षों और स्थानीय संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है।

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, स्वचालित खाते और संगठित डिजिटल अभियान सूचना सत्यापन को और जटिल बना सकते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वतंत्र तथ्य-जाँच संस्थाओं को प्रोत्साहन, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। किसी भी नियामक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा वैध आलोचना के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए।

10. निष्कर्ष

डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक विमर्श की प्रकृति और दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इसने नागरिकों को विचार व्यक्त करने, शासन-प्रशासन से संवाद करने, सामाजिक समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर उठाने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के नए अवसर प्रदान किए हैं। इस दृष्टि से सोशल मीडिया लोकतांत्रिक सहभागिता और जनजागरण का एक प्रभावशाली माध्यम है।

इसके साथ ही फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, साइबर उत्पीड़न और डीपफेक जैसी समस्याएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन रही हैं। गलत सूचनाएँ नागरिकों की निर्णय क्षमता को प्रभावित करने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव और संस्थागत विश्वास को भी कमजोर कर सकती हैं।

इसलिए डिजिटल मंचों पर प्रसारित होने वाली प्रत्येक सूचना को बिना जाँच के स्वीकार करना उचित नहीं है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों, पत्रकारों, पुस्तकालयों और नागरिक समाज को सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। मीडिया साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जाँच, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। विशेष रूप से महाविद्यालयों और पुस्तकालयों को विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन तथा विश्वसनीय सूचना के चयन की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

अंततः सोशल मीडिया का वास्तविक लोकतांत्रिक महत्व तभी स्थापित होगा, जब उसका उपयोग केवल सूचना के तीव्र प्रसार के लिए नहीं, बल्कि सत्य, संवाद, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और ज्ञान के विकास के लिए किया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन ही एक स्वस्थ, समावेशी और विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र की आधारशिला है।

संदर्भ सूची

कैस्टेल्स, एम. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *अंतरराष्ट्रीय संचार पत्रिका, 1*, 238–266।

इरेटन, सी., एवं पोसेटी, जे. (संपा.). (2018). *पत्रकारिता, फेक न्यूज़ एवं दुष्प्रचार: पत्रकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पुस्तिका*. यूनेस्को।

भारत सरकार. (2000). *सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000*. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. (2021). *सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021*. भारत का राजपत्र।

भारत निर्वाचन आयोग. (2019). *चुनावों में सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश एवं स्वैच्छिक आचार संहिता*. भारत निर्वाचन आयोग।

वार्डल, सी., एवं डेराखशन, एच. (2017). *सूचना अव्यवस्था: नीति-निर्माताओं के लिए पत्रकारिता और सूचना के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान*. यूरोप परिषद।

वसौघी, एस., रॉय, डी., एवं अराल, एस. (2018). The spread of true and false news online. *विज्ञान, 359*(6380), 1146–1151।

मैकक्वेल, डी. (2010). *मैकक्वेल का जनसंचार सिद्धांत* (छठा संस्करण). सेज प्रकाशन।

जेनकिंस, एच. (2006). *विचलन की संस्कृति: जहाँ पुराना और नया मीडिया टकराते हैं*. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस।

सनस्टीन, सी. आर. (2017). *#रिपब्लिक: विभाजित लोकतंत्र में विभाजन और विघटन*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।